न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1204–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–09–2012 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 35/अ–6/2011–12.

.....

श्रीमती जयश्री कुरापा पुत्री स्व0श्री रविशंकर कुरापा
निवासी किला मोहल्ला बाबई तहसील बाबई
जिला होशंगाबाद म0प्र0

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–श्रीमती संध्या कुरापा पत्नि स्व.श्री नीधीश कुमार कुरापा
निवासी सिद्धेश्वर परिसर कलेक्टर बंगले के सामने
मालखेडी रोड, जिला होशंगाबाद
2–कविता कुरापा आ0स्व0श्री निधीशा कुमार कुरापा
निवासी सिद्धेश्वर परिसर कलेक्टर बंगले के सामने
मालखेडी रोड, जिला होशंगाबाद
3–कुमारी वसुन्धरा कुरापा आ0स्व0श्री निधीश कुरापा
निवासी सिद्धेश्वर परिसर कलेक्टर बंगले के सामने
मालखेडी रोड, जिला होशंगाबाद
4–हरीश कुमार आ0स्व0श्री निधीश कुमार कुरापा
निवासी सिद्धेश्वर परिसर कलेक्टर बंगले के सामने
मालखेडी रोड, जिला होशंगाबाद
5–ओमेश कुरापा आ0स्व0निधीश कुमार कुरापा
निवासी सिद्धेश्वर परिसर कलेक्टर बंगले के सामने
मालखेडी रोड, जिला होशंगाबाद
6–श्रीमती मनोरमा पत्नि गौरीशंकर
निवासी ए0डी0बी0बैंक के पीछे बालाजी कालोनी बाबई
तहसील बाबई जिला होशंगाबाद

..... अनावेदकगण

.....

श्री रत्नेश दुबे, अभिभाषक–आवेदिका
श्री विजय दुबे, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 9/12/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि मौजा बागलखेडी तहसील बाबई में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 36/6 एवं 98/3 रकबा 2.428 हेक्टेयर पर व्यवहार वाद के आदेश के पालन में फौती नामान्तरण हेतु अनावेदिका कमांक 6 मनोरमा द्वारा तहसीलदार न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 8/अ–6/2011–12 दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 17–02–2012 के अनुसार वारिसो के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–2–2012 से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–6–2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2012 से दुखित होकर आवेदिका द्वारा कलेक्टर जिला होशंगाबाद के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर जिला होशंगाबाद द्वारा दिनांक 18–9–2012 को आदेश पारित किया जाकर निगरानी अस्वीकार की गई । कलेक्टर के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) व्यवहार न्यायालय के निर्णय को अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त की है और कलेक्टर द्वारा भी उक्त तथ्य को नहीं समझते हुये आवेदिका की निगरानी निरस्त करने में त्रुटि की है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा अपील में दिनांक 30–3–12 को अनावेदक कमांक 2 से 6 को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया और उसके पश्चात् दिनांक 20–4–12 एवं 16–5–12 व 23–5–12 को पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासकीय कार्यो में व्यस्त होने से प्रकरण में दिनांक 6–6–12 की पेशी नियत की गई । प्रकरण दिनांक 6–6–12 को अनावेदक कमांक 2 लगायत 6 की उपस्थिति हेतु नियत था लेकिन अनावेदक कमांक 1 की ओर से व्यवहार न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत कर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया गया, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अन्य अनावेदकगण को नोटिस जारी करने की कार्यवाही रोकते हुये प्रकरण में व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार आदेश हेतु प्रकरण नियत कर दिया गया । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सभी पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर तामील कराये बगैर प्रकरण आदेश हेतु नियत करने में गंभीर भूल की है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय को यह देखना चाहिये था कि व्यवहार न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को जिला न्यायाधीश द्वारा निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई है, ऐसी स्थिति में सभी अनावेदकगणों को नोटिस जारी करने के आदेश देने चाहिये था ।

(4) कलेक्टर द्वारा भी इस बात को अनदेखा किया गया है कि जब सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेश पारित किया गया है और जिस आदेश को आधार मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामान्तरण कार्यवाही की जा रही है, वह आदेश जिला न्यायाधीश होशंगाबाद द्वारा निरस्त किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष की कार्यवाही समाप्त कर देना चाहिये थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और कथित कार्यवाही कर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 द्वारा पारित आदेश के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही चलाये रखना विधिसम्मत नहीं है । कलेक्टर न्यायालय को यह देखना चाहिये था कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । इस कारण तीनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर व्यवहार न्यायालय द्वारा

प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जाने के आदेश देने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार उठाया गया कि अनावेदकगण के पक्ष में माननीय व्यवहार न्यायाधीश होशंगाबाद के प्र.क्र. 23–अ/11 में पारित आदेश दिनांक 18–5–2012 से निर्णय किया जा चुका है । इसी आदेश के आधार पर अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय द्वारा आवेदक की निगरानी निरस्त की है, जो उचित कार्यवाही है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–6–2012 को कोई आदेश पारित नहीं कर अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया है । कलेक्टर द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही गई है । चूँकि कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी निरस्त की गई है, इसलिये उनके द्वारा की गई गई स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की वैधानिकता पर विचार किये जाने का औचित्य नहीं रह जाता है । दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर